कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

विपणन संघ

क्र0/स्था0वि0/ 5933 / 2015 भोपाल दिनांक 16.10.15

आदेश

निम्नलिखित व्यक्तियो को संघ द्वारा, क्षेत्र सहायक (संविदा) पद हेतु, सीधी भर्ती की चयनित सूची में से प्रतीक्षा सूची अन्तर्गत अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर **क्षेत्र सहायक (संविदा)** के पद पर, विपणन सघ में क्षेत्र सहायक (संविदा) पद हेतु, कार्यालय आयुक्त सहकारिता एंव पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म0प्र0 के आदेश दिनांक 7–2–2014 से स्वीकृत निश्चित मासिक वेतन रु0 9000/– प्रतिमाह पर कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से नियुक्त कर निम्नांकित दर्शित अनुसार पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है :–

क्र0	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं पता	चयनित संवर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम एवं पता
1.	श्री कश्यप कुमार मिश्रा, 9/556 राजीव मार्ग निराला नगर रीवा (म0प्र0) 486001	अनारक्षित	भंडारण केन्द्र बोहरीबंद, द्वारा कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 कटनी (म0प्र0)
2.	श्रीमति रेणु सक्सेना 182 गौतम नगर गीतान्जली कॉलेज के पास बैरसिया रोड, भोपाल (म0प्र0) पिन--462038	अनारक्षित–महिला	भंडारण केन्द्र बेगमगंज, द्वारा कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 रायसेन (म0प्र0)
3.	श्री भुपेन्द्र सिंह डुडवे, ग्राम खैरवा पो0 उबलड़ तह0 जोबट जिला अलीराजपुर (म0प्र0) 457990	अ0ज0जा0	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 झाबुआ (म0प्र0)
4.	श्री रघुबीर सिंह नरगावे, 28/3 मोतीतबेला फायर स्टेशन इंदौर (म0प्र0)	अ0ज0जा0	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 रतलाम (म0प्र0)
5.	कु0 अंतिम वाला जमरा, ग्राम आसपुर पो0 कुन्द्रा तह0 कुक्षी जिला धार (म0प्र0)	अ0ज0जा0–महिला	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मंदसौर (म0प्र0)
6.	श्री रामलाल सोलंकी, ग्राम रेहगुन पो0 लोनापरा तह0/जिला वड़वानी (म0प्र0) 451556	अ0जा0	कार्यालय जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 उज्जैन (म0प्र0)

क्र0	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं पता	चयनित संवर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम एवं पता
7.	श्री आशीष मीना, 108 आनन्दनगर चितावत नवलखा के पास इन्दौर (म0प्र0) 452007	अ0पि0व0	भंडारण केन्द्र हरदा, द्वारा कार्यालय जिला विपणन अधिकारी,म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 होशंगाबाद (म0प्र0)

उक्त नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् रहेगी :–

1. अभ्यर्थी की सेवाऐं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के सेवानियमानुसार शासित होगी।

2. संघ में कार्य पर उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें :–

 2.1 मेडिकल फिटनेस का मूल प्रमाण पत्र (जिले के किसी शासकीय चिकित्सा अधिकारी जो कम से कम असिस्टेंट सर्जन हो)।

 2.2 दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी चारित्रिक प्रमाण पत्र(जो कि अधिकतम 1 माह से पूर्व का न हो)

 2.3 यदि अभ्यर्थी पूर्व से किसी संस्था में नियुक्त है तो उसके द्वारा पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

 2.4 शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के समस्त मूल प्रमाण पत्र एंव उनकी छायाप्रतियां राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी से सत्यापित

 2.5 आदेश के साथ संलग्न पहचान प्रमाण पत्र पूर्ण कर संघ के उपस्थित स्थल के जिले के जिला / इकाई / कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित कार्यालय / जिला प्रमुख उक्त अभिलेखों का मूल प्रति से मिलान कर एंव सत्यापित कर छायाप्रतियां, उपस्थिति प्रतिवेदन सहित विपणन संघ मुख्यालय भोपाल को पंजीकृत डाक से तत्काल भेजें।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के 20 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा स्थिति में यह मानकर की अभ्यर्थी संघ की सेवा में नियुक्त नही होना चाहता अतः उसका चयन एंव नियुक्ति आदेश विपणन संघ द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

4. संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी संघ की सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। स्वंय को किसी भी व्यापार / कारोबार या जीविकोपार्जन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से नही लगायेगा और न ही स्वंय को जानबूझ कर अनुपस्थित रखेगा।

5. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति / निर्देशों के बिना कोई भी सूचना / जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

6. परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को संतोषजनक परिणाम देना होगा। परिवीक्षा अवधि में परफारमेंस् रिपोर्ट संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

7. अभ्यर्थी को सेवाकाल में म0प्र0 के किसी भी जिले या स्थान जहां पर विपणन संघ का गोदाम/कार्यालय/क्रियाकलाप होगें, पदस्थ किया जा सकेगा अथवा कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकेगा। जिला कार्यालय अन्तर्गत पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थी अपना व्यवहारिक प्रशिक्षण संघ के संबंधित जिला कार्यालय के अधीन प्राप्त करेगें।

8. जिन अभ्यर्थियों को इस आदेश में संघ के जिला कार्यालय अन्तर्गत किसी भंडारण केन्द्र में पदस्थापना की गई है ऐसे अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी उपस्थिति संघ के जिला विपणन अधिकारी को देगें। जिला विपणन अधिकारी से कार्य संबंधित 15 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसमें से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यक रुप से जिले के भंडारण केन्द्रों में होगा, प्राप्त कर अभ्यर्थी पदस्थी स्थल पर उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त होगें।

9. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के तारतम्य में दी गई कोई भी जानकारी, किसी भी स्तर पर, किसी भी समय असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उनकी सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ यथाआवश्यक अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 से संबंधित संलग्न जाति प्रमाण पत्र का, सत्यापन जारीकर्ता कार्यालय/सक्षम अधिकारी से कराया जावेगा। सत्यापन में विपरीत स्थिति पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करते हुए, संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

11. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी के कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलाप में संलिप्तता पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

12. संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मचारी अपनी सेवाओं के दौरान किसी भी समय एक माह की सूचना देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन जमा कर, संघ की सेवा से त्याग पत्र दे सकेगा। इसी प्रकार संघ द्वारा किसी भी समय संविदा वेतन पर उक्त नियुक्त कर्मचारी की सेवाऐं एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

13. उर्पयुक्त अभ्यर्थीगण द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना सेवा छोडने पर उपरोक्त शर्त कमांक 12 अन्तर्गत देय राशि भू–राजस्व की बकाया की भांती वसूली योग्य होगी।

14. संविदा वेतन पर उक्त नियुक्त अभ्यर्थी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नही होगी।

15. संविदा वेतन पर कार्यरत कर्मचारी को वेतनवृद्वि, महगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता आदि की पात्रता नही होगी।

16. संविदा वेतन पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थी को सेवा के दौरान केवल आकस्मिक अवकाश तथा ऐच्छिक अवकाश की ही पात्रता रहेगी।

17. क्षेत्र सहायक (संविदा) पद श्रेणी के उक्त आदेशित आवेदकों से चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म, पहचान प्रमाण पत्र एंव शपथ पत्र में जानकारी लेने के उपरांत ही जिला विपणन अधिकारी उनकी उपस्थिति स्वीकार करेगें।

18. यह नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क0/एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2012 से जारी निर्देशों अन्तर्गत चरित्र

सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है। चरित्र सत्यापन की रिर्पोट में अभ्यर्थी संघ की सेवा के अयोग्य पाये जाने पर उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

19. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

उक्त शर्तो के अतिरिक्त संघ द्वारा संविदा वेतन पर कर्मचारियों के लिए समय–समय पर जो भी शर्ते निर्धारित की जावेगी वह शर्ते उन पर तदनुसार प्रभावशील होगी।

(अरुण माथुर)
सचिव

पृ0क0/स्था0वि0/ 5933 / 2015 भोपाल दिनांक 16.10.15
प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री/श्रीमति/कु0 .... क्षेत्र सहायक (संविदा) को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ।
2. जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. .... म0प्र0।
3. मंडल प्रबंधक म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. .... म0प्र0।
4. मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक मुख्यालय भोपाल।
5. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक को, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ।
6. संबंधित की व्यक्तिगत/वेतन वृद्धि/अवकाश/चरित्रावली नस्ती हेतु।

सचिव

D:\L.D.C. 2013.doc